दिनांक 16.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 24/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की श्री शान्तनु मुखर्जी (IPS सेवानिवृत्त) से शिष्टाचार भेंट

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांकः 16.11.2024 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में श्री शान्तनु मुखर्जी, आई0पी0एस0–एस0पी0एस0–1986, पुलिस महानिरीक्षक (सेवानिवृत्त) द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मुलाकात के दौरान श्री मुखर्जी द्वारा सेवा में रहते हुये किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिये शुभकामना संदेश एवं मोमेन्टो भेंट किया गया।

श्री शान्तनु मुखर्जी, उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा में वर्ष 1973 में चयनित हुए तथा सेवा में आने के उपरान्त देश व विदेशों में विभिन्न सुरक्षा और विशेष एजेंसियों में सेवा देने के साथ ही RAW में बतौर पुलिस महानिरीक्षक कार्यरत रहे व पुलिस महानिरीक्षक के पद से ही सेवानिवृत्त हुये। श्री शान्तनु मुखर्जी को सराहनीय सेवा के लिये भारतीय पुलिस पदक तथा विशिष्ट सेवा के लिये राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। सेवानिवृत्त होने के उपरान्त श्री मुखर्जी मॉरीशस के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे। श्री मुखर्जी द्वारा वर्तमान में कुम्भ मेला में नियुक्त पुलिस कार्मिकों को Behaviour and Soft Skill हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक एवं अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उपस्थित रहे।

दिनांक 16.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 25/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद बरेली/थाना भुता</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15/16.11.2024 को थाना भुता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गजनेरा के जंगल में अभियुक्तों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें मुख्य आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—सिपिन 2—गौरव घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भुता पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भुता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सिपिन निवासी ग्राम खरदाह थाना भुता जनपद बरेली।

2—गौरव निवासी ग्राम खरदाह थाना भुता जनपद बरेली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद रामपुर/ थाना शहजादनगर

- **25 हजार रुपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 15.11.2024 को थाना शहजादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मगरमऊ पुल के पास से पुरस्कार अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ नीरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शहजादनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद रामपुर व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, आर्म्स एक्ट, गैगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस संबंध में थाना शहजादनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवेन्द्र उर्फ नीरज निवासी इमालियाका थाना इकोटेक प्रथम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1– 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस ।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 03 लाख 89 हजार 400 रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉक:16.11.2024 को थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 05 अभियुक्तों 1–चंचल उर्फ अंशुमान 2–अनुपम 3–विजय कुमार 4–अक्षय कुमार 5–जयन्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 03 लाख 89 हजार 400 रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मोहम्मदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, मोबाइल फोन लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चंचल उर्फ अंशुमान निवासी माडल शंकरपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

2–अनुपम निवासी किसानन नगला अवन्तीवाई नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

3–विजय कुमार निवासी किसानन नगला अवन्तीवाई नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

4–अक्षय कुमार निवासी किसानन नगला अवन्तीवाई नगर थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

5–जयन्त निवासी मोहल्ला गंगानगर रोहिला थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–लूटे गये 03 लाख 89 हजार 400 रूपये नगद।

2–लूट का 01 मोबाइल फोन।

जनपद झांसी/थाना प्रेमनगर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 07 लाख 30 हजार रूपये कीमत के सोने–चांदी के आभूषण**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 16.11.2024 को थाना प्रेमनगर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजौली ग्रोथ सेन्टर फेज –02 डगरिया अन्डर ब्रिज के पास से 03 अभियुक्तों 1–शिवनारायण उर्फ पप्पु 2–रविन्द्र उर्फ कल्ला 3– रविन्द्र बंशकार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 30 हजार रूपये कीमत के सोने–चांदी के आभूषण, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना प्रेमनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से संबंधित है।

इस संबंध में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– शिवनारायण उर्फ पप्पु निवासी न्यू कालोनी थाना करेरा जनपद शिवपुरी म0प्र0।

2– रविन्द्र उर्फ कल्ला निवासी जमुनिया टपरियन थाना ओरछा जनपद निवाड़ी म0प्र0।

3– रविन्द्र बंशकार निवासी शेखपुरा थाना चिनौरा जनपद ग्वालियर म0प्र0।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख 30 हजार रूपये कीमत के सोने–चांदी के आभूषण ।

2–02 मोबाइल फोन ।

3–01 मोटर साइकिल ।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि ।

जनपद गोरखपुर/जीआरपी थाना गोरखपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की सोने–चांदी के आभूषण**
- **चोरी के 03 लाख 40 हजार रुपये नगद बरामद**

दिनांक 16.11.2024 को जीआरपी थाना गोरखपुर व क्राइम ब्रांच जीआरपी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन गोरखपुर के गेट नम्बर 01 पीपल के पेड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1–खालिद 2– मुस्तकीम 3– कृष्णा उर्फ किशन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की सोने–चांदी के आभूषण, चोरी के 03 लाख 40 हजार रुपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि जीआरपी थाना गोरखपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना जीआरपी गोरखपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण व रुपये चोरी की घटनाओं से संबंधित है।

इस संबंध में जीआरपी थाना गोरखपुर द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– खालिद निवासी ग्राम ज़ाखिर नगर ओखला गली नम्बर 06 थाना जामियानगर उत्तर दिल्ली ।

2– मुस्तकीम निवासी गौसपुर सादात थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ।

3– कृष्णा उर्फ किशन निवासी माधोपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर ।

बरामदगी

1– चोरी की सोने–चांदी के आभूषण ।

2– चोरी के 03 लाख 40 हजार रुपये नगद ।

ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 09 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 705 ग्राम अवैध चरस**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनॉकः 15.11.2024 की रात्रि ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ टीम द्वारा सूचना के आधार पर बजाज सुगर मिल के समीप, सहारनपुर से शामली की ओर जाने वाला मार्ग थाना–थानाभवन जनपद शामली से 02 अभियुक्तों 1–मोहित 2–दिलीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 09 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 705 ग्राम अवैध चरस, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना थानाभवन जनपद शामली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहित निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

2–दिलीप निवासी जीवाणों थाना पुरोला जनपद उत्तरकाशी , उत्तराखण्ड।

बरादमगी

1–लगभग 09 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 705 ग्राम अवैध चरस।

2–02 मोबाइल फोन आदि।

- **<u>जनपद सन्तकबीरनगर/थाना बेलहरकला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जैनुल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————